# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/खेलकूद–3/35102/2023–24/नेहरू हॉकी दिनांक :28.08.2023

## :: आदेश ::

सत्र 2023–24 में आयोज्य 40वीं सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का पंचांग आवश्यक दिशा–निर्देशों सहित अनुपालनार्थ प्रसारित किया जाता है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक (मुख्यालय) शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों में पंचांग एवं निर्देशों को अविलम्ब प्रसारित करावें ।

40वीं सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता निम्नांकित तिथियों में आयोजित की जावें :–

**जिला स्तर पर :– 25.09.2023 से 26.09.2023 तक**
**राज्य स्तर पर :– 07.10.2023 से 09.10.2023 तक**
**राष्ट्रीय स्तर पर :– 12.10.2023 से 22.10.2023 तक**

राज्य स्तर पर प्रतियोगिता आयोजन स्थल :– **भगवान महावीर राउमावि निमाज, पाली**

<u>आवश्यक दिशा–निर्देश :–</u>

01 जिला स्तर पर विजेता टीम ही राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेगी तथा जिला स्तर पर विजेता टीम के जिन खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता सत्र में भाग लिया है वे ही खिलाड़ी उसी सत्र की राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उस प्रतियोगिता सत्र में खिलाड़ियों का परिवर्तन नहीं किया जावे।

02 सत्र 2023–24 की 40वीं सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता हेतु छात्र की आयु 15 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए अर्थात 01.11.2008 या उसके पश्चात जन्म लेने वाले खिलाड़ी नेहरू हॉकी प्रतियोगिता (15 वर्ष छात्र) में भाग ले सकेंगे। साथ ही अन्तिम रूप से चिकित्सकीय प्रमाण पत्र जिसमें कि छात्र की आयु 15 वर्ष या उससे कम का प्रमाण पत्र हो आवश्यक रूप से संलग्न करें, इसके अभाव में छात्र प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगा। जन्मतिथि में विवाद के क्रम में सम्बन्धित संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे। अतः विद्यालय अभिलेख से मिलान कर जन्म तिथि अंको व शब्दों मे योग्यता प्रमाण–पत्र में दर्ज की जाए। इस प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु खिलाड़ी की पात्रता प्रवेश तिथी सभी कक्षाओं के लिए वास्तविक प्रवेश तिथी मान्य होगी।

03 राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता (15 वर्ष छात्र) में भाग लेने हेतु जिला स्तरीय नेहरू हॉकी (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता में कम से कम 4 टीमों का भाग लेना अनिवार्य होगा। इस न्यूनतम निर्धारित संख्या में टीमें जिला स्तर पर भाग नहीं लेती है तो ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता सम्पन्न करवाकर संभागियों को प्रमाण–पत्र वितरित कर दिए जाए, परन्तु टीम उस प्रतियोगिता सत्र में नेहरू हॉकी प्रतियोगिता (15 वर्ष छात्र) राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगी। उक्त सूचना जिला स्तरीय प्रतियोगिता प्रारम्भ होने के समय खिलाड़ियो को आवश्यक रूप से दी जाए।

04 सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 4 या 4 से कम होने पर लीग प्रणाली से एवं टीमों की संख्या 5 या 5 से अधिक होने पर नॉक–आउट प्रणाली से की जाए।

05 जिला स्तर पर लीग प्रणाली में टाई पड़ने पर परिणाम हेतु निम्नानुसार टाई तोड़ी जाए :– लीग प्रणाली से खेले जाने वाले सभी खेलों के मैचों में विजेता दल को दो अंक व पराजित दल को शून्य अंक एवं बराबर रहने वाले दलों को एक–एक अंक दिया जाएगा।

06 जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार मैच जब लीग प्रणाली से खिलाए और दल बराबर रह जाते है तो प्राप्त गोल औसत को आधार मान कर टाई तोड़ी जाए। गोल का तात्पर्य है जिस दल के पक्ष में जितने गोल हुए है उनमें से उसी दल के विपक्ष में हुए गोल का औसत निकाल कर टाई तोड़ी जाए। यदि इस पद्धति से निर्णय की स्थिति ना बन पाए तो जिस दल के पक्ष में अधिक संख्या में गोल रहें हो उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाए।

07 राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता नॉक आउट प्रणाली से आयोजित की जावेगी। नॉक आउट प्रणाली में टाई पड़ने पर विभागीय हॉकी प्रतियोगिता के अनुरूप ही टाई ब्रेकर नियम लागू किया जाएगा।

08 राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में दल हारते ही आयोजक हारे हुए दल को कार्यमुक्त कर देवें। सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों के मध्य तीसरे एवं चौथे स्थान के लिए मैच करवाए जाए तथा 4 स्थानों के परिणाम निकाले जाए।

09 जिला स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता हेतु आयोजन [illegible] जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) द्वारा किया जाएगा।

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.08.28 1[illegible]:08:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4584607

10 शिक्षा विभागीय अन्य विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में जिले के दल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेते है जिसकी व्यवस्था संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) द्वारा की जाती है। उसी व्यवस्था/प्रकिया अनुसार ही जिले के दल को नेहरू हॉकी प्रतियोगिता (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता के लिए भेजा जाए। खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता, अनुसांगिक प्रभार, यात्रा व्यय (रियायती दर) आदि समस्त व्यय अन्य विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं की भांति नियमानुसार छात्र कोष से वहन किए जायेंगे। अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया जाएगा।

11 जिला स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता आयोजन पर होने व्यय अन्य विभागीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं की भांति जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) शिक्षा के पास उपलब्ध खेलकूद की अनारक्षित राशि 60 प्रतिशत राशि में से नियमानुसार कर सकेंगे।

12 शिक्षा विभाग के विशेष विद्यालय जैसे सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर एवं सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र विद्यालय में प्रवेश लिये खिलाड़ी दल यदि एक ही विद्यालय से पूर्ण बनता है तो सीधे ही राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेगें।

13 जिला स्तर पर विजेता विद्यालय की सूचना व भाग लेने वाले खिलाड़ियों की सूची परिणाम प्राप्त होते ही विजेता विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) के माध्यम से राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता आयोजक संस्था प्रधान को समय पर भिजवाते हुए राज्य स्तर पर भाग लेने की सूचना भी भिजवाए।

14 जिला स्तर पर विजेता टीम मय आवश्यक अभिलेख दिनांक 06.10.2023 की सांय 5.00 बजे तक राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता आयोजक प्रधानाचार्य, **भगवान महावीर राउमावि निमाज, पाली** को अपनी उपस्थिति देवें।

15 अन्य विभागीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं की भांति नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का भी समस्त अभिलेख विद्यालय में तैयार किया जाए एवं सुरक्षित रखें।

16 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) अपने जिले का कार्यक्रम तैयार कर उक्त प्रतियोगितार्थ जिला स्तर पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की टीमों को शामिल करने हेतु आदेश की प्रति अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक (मुख्यालय) को भी पर्याप्त समय पूर्व भिजवाए।

17 40वीं राज्य स्तरीय (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता 2022-23 के प्रथम चार स्थान के परिणाम इस प्रकार है :- **1. श्रीगंगानगर** 2. अजमेर 3. जोधपुर 4. **भीलवाड़ा**

18 सब जूनियर नेहरू हॉकी (15 वर्ष छात्र) प्रतियोगिता हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर प्रत्येक दल में खिलाड़ियों की संख्या 16 होगी।

Rajasthan Education Department

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02 निजी सचिव, शासन सचिव खेलकूद एवं युवा मामले विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
03 निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
04 निजी सचिव, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
05 निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान, जयपुर।
06 सचिव/अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर।
07 समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक (मुख्यालय) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश का प्रसारण अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कार्यालयों/विद्यालयों को अविलम्ब करने का श्रम करें तथा की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।
08 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
09 **प्रधानाचार्य, भगवान महावीर राउमावि निमाज, पाली** को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10 रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.08.28 17:08:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4584607